PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

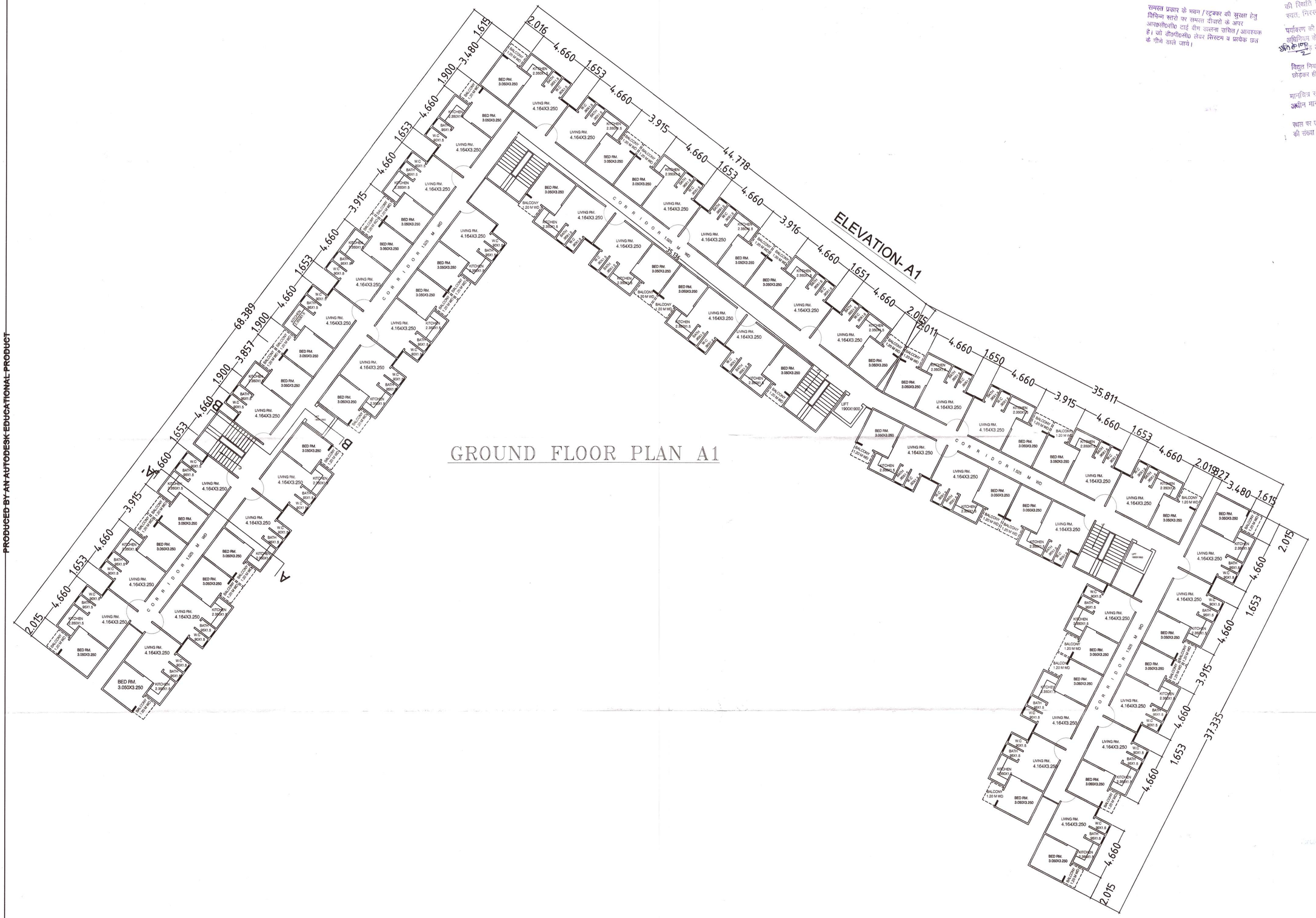

GROUND FLOOR PLAN A1

DOORS&WINDOWS SCHEDULE UNIT TYPE 'EWS'					
S.NO.	TYPE	SIZE	S.LVL.	L.LVL.	REMARKS
1	D1	750 X 2100	–	2100	
2	D2	900 X 2100	–	2100	
3	D3	1050 X 2400	–	2400	
4	W	500 X 1050	1350	2400	
5	W2	855 X 1350	1050	2400	
6	DW1	1320 X 2400	–	2400	

PROJECT TITLE
PROPOSED BUILDING PLAN FOR LIG AT GH-08 KHASRA NO. 124, 125 & 126 N.H.-24 GHAZIABAD FOR CROSSING REPUBLIK

DRAWING TITLE
GROUND FLOOR PLAN
UNIT TYPE –L.I.G
BLOCK–A1

01 DRG NO.

SCALE	1:100
DATE	
DEALT	
JOB NO.	COM-5/D/DATA/CROSSING/SUB./20090919 SUBMI.

OWNER
CROSSINGS INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

ARCHITECTURAL CONSULTANT
BUILDING BELIEFS ARCHITECTS
3/4 MAULSIRI ROAD SHIPRA SUN CITY, INDIRAPURAM,GHAZIABAD.
ph.no.- 09582218531. 9899410935.

CROSSINGS INFRASTRUCTURE PVT. LTD.
Authorised Sign
OWNER'S SIGN

Building Beliefs Architect, Planner, Landscape & Interior Designer
ARCHITECT'S SIGN.

ENGINEER'S SIGN

मानचित्र निर्गत पत्रांक 3554 दिनांक 5-3-2013

आवेदक / भू-स्वामी / निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस मद में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी अथवा शमन के समय उक्त मद में प्राधिकरण कोष में धनराशि जमा किया जाना आवश्यक होगा।

समस्त प्रकार के भवन / रूफकवर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आरसीसी/सी0 टाई बीम डालना उचित / आवश्यक है। जो जी0पी0एस0 लेबर सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

रमस्त सेवाओं के अभिकल्पन का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा।

स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

पर्यावरण की दृष्टि से राज्य भवन निर्माण अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम लगाना अनिवार्य है।

विद्युत नियमो के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

मानचित्र स्वीकृत शर्तों पर अंकित शर्तों के अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

स्थल पर एक सेट स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक अंकित अनिवार्य होगा।

सहायक अभियन्ता
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

सहायक अभियन्ता
मानचित्र अनुभाग

अवर अभियन्ता
मानचित्र अनुभाग

मानचित्र की स्वीकृति विकासकर्ता के स्वामित्वाधीन भूमि पर ही दी गयी है। अन्य की भूमि पर केवल कन्फ्यूजन ही माना जायेगा।

मानचित्र में इंगित लेफ्ट दे संचालन हेतु वारपास कोड का अभिकल्पन करना होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT